तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामकुंवार बनाम श्रीमती प्रभाती देवी व अन्य अपील जीसीएमएस नम्बर 2021/48	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई। वकील अपीलार्थी श्री हिमांशु सोगानी ने कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है और रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा स्व0 श्री जगन्नाथ की सभी उत्तराधिकारी पुत्रियों ने अपीलार्थीगण के हक में पंजीकृत हक त्याग कर दिया है। राजीनामा अनुसार अपीलार्थीगण इस अपील में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इसलिये उपरोक्त अपील में विड्रो किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील में अपील को विड्रो करते हुये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर नामा0 संख्या 153 दिनांक 24.10.2000 बहाल रखे जाने के आदेश पारित फरमाये जावें। हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से विड्रो की हद तक स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी स्वयं अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (पूनम) संभागीय आयुक्त जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	